जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

संदर्भ सं.: जे.एन.सी.यू. / प्रवेश / 01 / 2019 दिनांक: 12 अप्रैल, 2019

विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2019–20 में प्रवेश हेतु सूचना

शैक्षिक सत्र 2019–20 में विश्वविद्यालय परिसर तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित एम.ए., एम.काम.,एम.एस.डब्लू, एम.एड., एल.एल.बी., बी.पी.एड., बी.सी.ए., बी. एस–सी.(कृषि) एवं एम.एस–सी.(कृषि) में प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से दिनांक 30 मई, 2019 तक आनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

प्रवेश हेतु पाठ्यक्रमों का विवरण, शैक्षिक अर्हताएं एवं उपलब्ध सीटों की संख्या, आवेदन शुल्क एवं सामान्य नियम विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.jncu.ac.in पर उपलब्ध हैं।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्र.सं.	विवरण	तिथि
1	आनलाईन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	15 अप्रैल, 2019
2	आनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि	30 मई, 2019
3	प्रवेश पत्र डाउनलोड की तिथि	10 जून, 2019
4	प्रवेश परीक्षा हेतु प्रस्तावित तिथि	18–20 जून, 2019
5	प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि	30 जून, 2019
6	विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने की अवधि	07 जुलाई से 15 जुलाई, 2019

प्रवेश हेतु पाठ्यक्रमों, उपलब्ध सीटों एवं शैक्षिक अर्हताएँ

क्र. सं.	पाठ्यक्रमों का विवरण	कुलसीट	शैक्षिक अर्हताएँ
1	(वि.वि. परिसर के पाठ्यक्रम) (क) एम0ए0 हिन्दी, (ख) एम0ए0 अंग्रेजी, (ग) एम0ए0 समाजशास्त्र, (घ) एम0ए0 राजनीतिशास्त्र,	प्रत्येक पाठ्यक्रम / विषय में 60 सीट	सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा अन्य संकायों के स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी

Scanned by CamScanner

	(ड़) एम0ए0 अर्थशास्त्र, (च) एम0ए0 प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व , (छ) एम0ए0 मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास (ज) एम0ए0 गृहविज्ञान (झ) मास्टर ऑफ सोशल वर्क (ठ) एम.कॉम.		बी.कॉम उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्ह होगें
2	**सम्बद्ध महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम** (क) एम.एस.–सी. (कृषि) i कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी ii कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान iii आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन	प्रत्येक विषय में 20 सीट	बी.एस.सी. (कृषि) चार वर्षीय पाठ्यक्रम उपाधि उत्तीर्ण अभ्यर्थी
	(ख) एम.कॉम.	60 सीट	बी.कॉम उत्तीर्ण अभ्यर्थी
	(ग) एम.एड.	100 सीट	बी.एड. उत्तीर्ण अभ्यर्थी
	(घ) त्रिबर्षीय एल.एल.बी.	340 सीट	स्नातक उपाधि उत्तीर्ण अभ्यर्थी
	(ड) बी.पी.एड.	150 सीट	एन.सी.टी.ई. के अर्हतानुसार अभ्यर्थी
	(च) बी.सी.ए.	60 सीट	इण्टरमीडिएट / 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा गणित वर्ग से उत्तीर्ण अभ्यर्थी
	(छ) बी.एस–सी–(कृषि)	240 सीट	इण्टरमीडिएट / 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा विज्ञान / कृषि विषयों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी

Scanned by CamScanner

नोटः—1 उपर्युक्त पाठ्यक्रमों/विषयों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जायेगा। परन्तु प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों के सापेक्ष प्राप्त कम आवेदन पत्रों की संख्या में होने की दशा में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा, तथा अर्हता परीक्षा की मेरिट के अनुसार शीधे प्रवेश दे दिया जायेगा।

2 प्रवेश के समय नियमानुसार सीटों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है।

प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम

(1) एम.ए., एम,काम., एम.एस.सी. (कृषि) तथा एम.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर के सम्बन्धित पाठ्यक्रम से कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार (आब्जेटिक्व टाईप) के प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनका उत्तर ओ.एम.आर. पत्रक पर देना होगा।

(2) बी.पी.एड., बी.सी.ए., एल.एल.बी., एवं एम.एस. डब्ल्यू पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सामान्य अध्ययन के कुल 100 वस्तुनिष्ठ (आब्जेटिक्व टाईप) प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनका उत्तर ओ.एम.आर. पत्रक पर देना होगा।

(3) बी.एस—सी.(कृषि) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट स्तर के कृषि एवं विज्ञान के पाठ्यक्रमों से कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेगें। जिसमें 25 प्रतिशत सामान्य अध्ययन से तथा शेष 75 प्रतिशत प्रश्न कृषि एवं विज्ञान विषय से पूछे जायेगें।

प्रवेश हेतु सामान्य नियम

(1) प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jncu.ac.in पर दी जायेगी। अतएव अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे विश्वविद्यालय की बेवसाइट नियमित देखते रहें।

(2) आनलाईन आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क रू0 600/— प्रति अभ्यर्थी देय होगा। परन्तु एस.सी./एस.टी. /विकलांगजनों हेतु शुल्क रू0 400/— होगा। आवेदन शुल्क आनलाईन नेट बैंकिग/एन.ई.एफ.टी./डेबिड कार्ड के माध्यम से खाते का नाम JNCU ENTRANCE EXAMINATION FEE ACCOUNT एच0डी0एफ0सी0 बैंक के खाता सं. 50100278460617 IFSC Code HDFC0001885 में जमा किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(3) अभ्यर्थी जिस विषय/पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में सम्मलित होगा, उसी विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपने आवेदन श्रेणी में ही प्रवेश अनुमन्य होगा, बशर्ते कि वह अर्ह हो तथा मेरिट क्रम में आता हो।

(4) यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश हेतु दो विषयों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे प्रत्येक विषय के लिए अलग—अलग आनलाइन आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ करना होगा। ऐसी दशा में उसे पहले ही प्रवेश

Scanned by CamScanner

परीक्षा की समय–सारणी देखकर आवेदन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी के सुविधा के लिए समय–सारिणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(5) अभ्यर्थी द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र स्वयं भरा जायेगा तथा अन्तिम तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

(6) उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले दिशा–निर्देश आवेदक को मान्य होगें।

(7) प्रवेश के समय नियमानुसार सीटों की संख्या घट़ अथवा बढ़ सकती है।

(8) शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश अधिनियम के प्राविधान पूर्णतः लागू होगें। आरक्षित सीटें रिक्त रहने पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नियमानुसार भरी जायेंगी। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही दिया जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के अभ्यर्थियों का प्रवेश निर्धारित कुल सीटों का 5 (पांच) प्रतिशत होगा।

(10) अलग–अलग विषयों/पाठ्यक्रमों हेतु अलग–अलग आवेदन करना होगा। प्रवेश के उपरान्त विषय/पाठ्यक्रम परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा

(11) प्रवेश के समय समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र मूल रूप में लाना अनिवार्य होगा। टी. सी./माइग्रेशन प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। उपर्युक्त के अभाव में प्रवेश प्रदान नहीं किया जायेगा तथा मेरिट क्रम में अगले अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

(12) सम्बन्धित विषयों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश प्रदान किये जाने के उपरान्त शिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क तीन दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।

(13) गलत/भ्रामक सूचनाओं के आधार पर किया गया प्रवेश शिक्षण व अन्य शुल्क जमा करने के बाद भी प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(14) यदि किसी विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के आवेदन–पत्रों की संख्या निर्धारित प्रवेश स्थानों से कम होगी तो उस विषय में प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा। ऐसी दशा में अर्हतानुसार प्रवेश नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

(15) यदि त्रुटिवश किसी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश–पत्र निर्गत हो जाता है, तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि अभ्यर्थी के प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति एवं परीक्षाफल/प्रवेश को निरस्त कर दे।

(16) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जो पुलिस रिकार्ड के अनुसार किसी अभियोग में पंजीकृत अथवा नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी अपराधिक मामले में सम्मिलित हो, तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा यदि तथ्य छिपाकर प्रवेश प्राप्त कर लिया गया हैं तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(17) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रैगिंग अथवा अन्य किसी गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर बिना कारण बताये छात्र को परिसर/महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा। प्रवेश के समय शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(18) किसी भी छात्र को एक साथ दो नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(19) एक अभ्यर्थी अधिकतम तीन पाठ्यक्रमों/विषयों में प्रवेश हेतु आवेदन पृथक आवेदन शुल्क के साथ कर सकता हैं।

(20) एम.एस–सी. (कृषि) में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी एक आवेदन पत्र भरेंगे तथा विषय का आवंटन मेरिट क्रम में काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।

नोटः– **1 स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त छात्र किसी अन्य विषय से पुनः एम0ए0 करने हेतु अर्ह नहीं होंगे।**

2 किसी भी विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिकतम अंतराल दो वर्षीय ही अनुमन्य होगा।

3 जिन पाठ्यक्रमों का संचालन दो अथवा दो से अधिक महाविद्यालय में होता है तो उन पाठ्यक्रमों की ही आनलाईन काउन्सिलिंग विश्वविद्यालय द्वारा करायी जायेगी। शेष विषयों/पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश सूची निर्गत करते हुए प्रवेश प्रदान कर दिये जायेगें।

प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था

1. अनुसूचित जाति के लिये 21%, अनुसूचित जन जाति के लिये 02% तथा अन्य पिछड़ी वर्ग के लिए 27% स्थान आरक्षित हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 03 वर्ष से पूर्व निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

नियमानुसार आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों।

2. क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

(क) दिव्यांग अभ्यर्थियों की सभी श्रेणियों (दृष्टिहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास एवं पालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात) के लिए पृथक–पृथक एक प्रतिशत (1%) स्थान कुल 03 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण उनकी दिव्यांगता का परीक्षण करने के उपरान्त दिव्यांगता 60% या 60% से अधिक होने की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

(ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए कुल 02 प्रतिशत सीट सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

(ग) उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र–पुत्रियों को प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

(घ) महिला अभ्यर्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित होगा। महिलाओं के कुल आरक्षित सीट संख्या में से 02 प्रतिशत सीट विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित होगा।

(ड़) उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 मार्च, 2019 के अनुपालन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा।

3 अधिभार के नियम–

विवरण	भारॉंक
राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को– (1) एकल प्रतियोगिता के अभ्यर्थी द्वारा (2) समूह प्रतियोगिता में (3) किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्तर महाविद्यालय टूर्नामेंट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिताओं में	 15 10 10
नेशनल कैडिट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी (1) नेशनल कैडिट कोर में (सी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरूष अभ्यर्थी तथा जी–2 प्रमाण–पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को या	 15

Scanned by CamScanner

(2) नेशनल कैडिट कोर में (बी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरूष अभ्यर्थी तथा जी–1 प्रमाण–पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को **या** (3) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 2 या 2 से अधिक शिविरों में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को **या** (4) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को **या** (5) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को **या** (6) स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को **या** (7) स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स निपुण अभ्यर्थी को **या** (8) स्काउट एवं गाइड्स ध्रुवपद या गुरूपद अथवा रोवर्स/रेन्जर्स तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को	10 15 10 05 15 10 05
1 स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र या पुत्री या पुत्र का पुत्र या अविवाहित पुत्री को 2 ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवा निवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे कर्मचारी से पुत्र या पुत्री के रूप में संबधित हो या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हों। 3 ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पिता अथवा पति पुलिस या पी0ए0सी0 या बी0एस0एफ या एस0एस0बी0 या आई0टी0बी0पी0 या सी0आर0पी0एफ0 या होमगार्डर्स में सेवारत हों या सेवानिवृत्त, अपंग या मृत हो गये हों, का प्रमाण पत्र (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए) 4 ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा तलाकशुदा या परित्यक्ता हो (ऐसे अभ्यर्थी को विधिक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा)	15 15 15 15

नोट– अधिकतम अधिभार केवल 25 गुणांक ही देय होगा।

कुलसचिव

Scanned by CamScanner